रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2016/आषाढ़ 9, 1938
No. 451] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2016/ASHADHA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

सा.का.नि. 646(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (जिसे यहाँ इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,-

(i) नियम (3) में, "मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)" अभिव्यक्तियों का लोप किया जायेगा।

3. मूल नियम के नियम (5) में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (v), (vi), (vii) और (ix) से (xi) का लोप किया जायेगा।

(ख) उपनियम (2) में

(क) "उस प्रत्येक कर्मचारी का नाम" शब्दों के स्थान पर "प्राप्त पारिश्रमिक के अनुसार शीर्ष दस कर्मचारियों के नाम और प्रत्येक कर्मचारी का नाम" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपखंड (i) में "साठ लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएँगे।

(ग) उपखंड (ii) में "प्रतिमाह पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "प्रतिमाह आठ लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएँगे।

4. मूल नियम के प्ररूप संख्या एमआर-1 के लिए निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्रपत्र सं. एमआर1 **[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची-V के साथ पठित धारा 196 के अनुसरण में तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	**प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति का विवरण**

प्रपत्र की भाषा ....अंग्रेजी ....हिंदी

प्रपत्र दाखिल करने के लिए निर्देशों का संदर्भ लें

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)..(पूर्व पूरित)
   (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)..
2. (क) कंपनी का नाम ....
   (ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता ....
   ....
   ....
3. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर स्थायी खाता संख्या (पीएएन) या सदस्यता संख्या ....
   (ख) *नाम ....
4. पदनाम ....प्रबंधक......................... प्रबंध निदेशक .... पूर्णकालिक निदेशक

5. *निदेशक मंडल द्वारा संकल्प की तारीख .... (दिन/माह/वर्ष)

6. *नियुक्ति की प्रभावी तारीख .... (दिन/माह/वर्ष)

7. पारिश्रमिक सहित निबंधन और शर्तें
   (क) पारिश्रमिक .... प्रतिमाह .... प्रतिवर्ष
   i. वेतन (रु. में) ....
   ii. पूर्वापेक्षा (रु. में) ....

iii. अन्य (रु. में) ....

iv. उपर्युक्त (i) और (iii) का कुल योग (रु. में) ....

(ख) *नियुक्ति की अवधि .... से (दिन/माह/वर्ष)

.... तक (दिन/माह/वर्ष)

(ग) अन्य शर्तें, यदि कोई हो

....

....

8. *(क) क्या नियुक्त व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से ज्यादा है ....हां ....नहीं

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए पक्षकारों द्वारा विशेष संकल्प पारित करने की तिथि...........................

(ग) संबंद्ध प्रपत्र सं.एमजीटी.14 का एसआरएन (विशेष संकल्प दाखिल करने के लिए)................................

9. *(क) क्या नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची V के भाग- I में उल्लिखित किसी अधिनियम में अपराधी या दोषी ठहराया गया है। ....हां...................नहीं

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख................................

10.*(क) क्या आम सभा में उक्त नियुक्ति के लिए सदस्यों से अनुमोदन लिया गया था ....हां..........नहीं

(ख) यदि हां, तो संकल्प पारित करने की तारीख ....

(ग) प्रपत्र सं. एमजीटी.14 का एसआरएन (विशेष संकल्प दाखिल करने के लिए)................................

11.* (क) क्या नियुक्त व्यक्ति को अधिनियम की धारा 164 के तहत निदेशकों की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है ....हां...................नहीं

12. (ख) यदि हां, तो ब्यौरे दें...

....

....

संलग्नक

1) *बोर्ड संकल्प की प्रति **(संलग्न करें)**

2) पक्षकारों के संकल्प की प्रति **(संलग्न करें)**

3) केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्रति, यदि कोई हो **(संलग्न करें)**

4) प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधन के रूप में कार्य करने हेतु सहमति-पत्र **(संलग्न करें)**

5) कंपनी की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का इस आशय के प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई हो कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। **(संलग्न करें)**

6) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो **(संलग्न करें)**

घोषणा

मैं कंपनी की निदेशक मंडल के संकल्प संख्या.....................तारीख.................द्वारा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं तथा यह घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र या इससे संबंद्ध मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्रपत्र के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

***डिजटल हस्ताक्षर हेतु (डीएससी बॉक्स)**

*पदनाम…………………………………..

* निदेशक का डीआईएन, प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पीएएन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या ....

प्रैक्टिस कर रहे व्यावसायिकों द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं यह घोषित करता हूं कि मुझे इस प्रपत्र के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ विहित रूप से नियुक्त किया गया है। एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र की विषयवस्तु और उससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और उपर्युक्त विवरणों (संलग्नकों समेत) का सत्यापन कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों से किया है जो इस प्रपत्र की विषयवस्तु है और यह पाया है कि वे सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्रपत्र से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि ;

(क) उक्त रिकॉर्ड उचित ढंग से तैयार किए गए है कंपनी के अपेक्षित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार रखे गए हैं तथा सही पाए गए हैं,

(ख) सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्रपत्र के साथ संलग्न किए गए है।

***डिजीटल हस्ताक्षर करने हेतु**

....चार्टर्ड अकाउंटेट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)या (डीएससी बॉक्स)
....लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)या
....कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)
क्या एसोसिएट या फैलो है .... एसोसिएट...... फैलो
सदस्यता सं......................... प्रैक्टिस सं. का प्रमाणपत्र

नोटः धारा 448 तथा 449 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें झूठे विवरण के लिए दंड तथा झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

........संशोधित................. फॉर्म चेक करें................पूर्व संवीक्षा..........प्रस्तुत

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु ....(दायर करने संबंधी विवरण संबंद्ध करें)

ई-फॉर्म सेवा अनुरोध सं. (एसआरएन).........................ई –फॉर्म जमा करने की तारीख ....(दिन/माह/वर्ष)

इस ई-फॉर्म को एतदद्वारा पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर .... (जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तिथि.........................(दिन/माह/वर्ष)

[फा. सं.1/5/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 249(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.390(अ) तारीख 09 जून, 2014 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2016

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014,

(hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) in rule 3, the expression“Chief Executive Officer (CEO), Company Secretary and Chief Financial Officer (CFO)” shall be omitted.

3. in rule 5 of the principal rules,-

(a) in sub-rule (1), “clauses (v), (vi), (vii) and (ix) to (xi)” shall be omitted.

(b) in sub-rule (2),-

(a) for the words “ the name of every employee of the company, who-”, the words “ the names of the top ten employees in terms of remuneration drawn and the name of every employee, who-” shall be substituted;

(b) in sub-clause (i) for the words “sixty lakh rupees”, the words “one crore and two lakh rupees” shall be substituted;

(c) in sub-clause (ii) for the words “five lakh rupees per month”, the words “ eight lakh and fifty thousand rupees per month” shall be substituted;

4. For Form MR-1 of the principal rules, the following form shall be substituted, namely.-

Form No. MR-1
[Pursuant to Section 196 read with Section 197 and Schedule V of the Companies Act and pursuant to Rule 3 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014]

सत्यमेव जयते

Return of appointment of managerial personnel

Form language o English o Hindi
Refer instruction kit for filing the form.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company [ ] Pre-Fill

(b) Global location number (GLN) of company [ ]

2.(a) Name of the company [ ]

(b) Address of the registered office of the company [ ]

3.(a) *Director identification number (DIN) or income-tax permanent account number (PAN) or membership number [ ]

(b) *Name [ ]

4. *Designation o Manager o Managing Director o Whole Time Director

5. * Date of the resolution by the board of directors [ ] (DD/MM/YYYY)

6. * Effective date of appointment [ ] (DD/MM/YYYY)

7. Terms and conditions including remuneration-

(a) Remuneration ○ Per month ○ Per Annum

i. Salary (In Rs) [ ]
ii. Perquisites (In Rs.) [ ]
iii. Others (In Rs.) [ ]
iv. Total of (i) to (iii) (In Rs.) [ ]

(b)* Tenure of appointment From [ ] (DD/MM/YYYY)
To [ ] (DD/MM/YYYY)

(c) Other terms, if any

[ ]

8. *(a) Whether the age of the appointee is more than 70 years O Yes O No

(b) If yes, date of passing of special resolution by the shareholders approving the appointment

(c) SRN of related Form No. MGT-14 (for filing of Special Resolution)

9. *(a) Whether the appointee had been convicted or detained under any of the Acts mentioned inPart I of Schedule V
O Yes ONo
(b) If yes, Date of obtaining Central Government's approval

10. *(a) Whether the approval for such appointment has been obtained from the members in general meeting O Yes O No

(b) If yes, date of passing the resolution

(c) SRN of Form No. MGT-14 (for filing of Special Resolutio

11. * (a) Whether the appointee has been disqualified for appointment of director under section 164 of the ActO Yes O No

(b)If yes, give details

Attachments

1) *Copy of Board resolution; Attach

2) Copy of shareholders resolution; Attach

3) Copy of the Central government approval, if any; Attach

Attach

4)*Copy of letter of consent to act as Managing Director/Whole time Director/Manager;

5) Copy of certificate by the Nomination and Remuneration Committee of the company, if any, to the effect that the remuneration is as per remuneration policy of the company Attach

Attach

6) Optional attachments, if any.

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no.* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

To be digitally signed by **DSC**

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

a. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

b. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

□ Chartered accountant (in whole-time practice) or
□ Cost accountant (in whole-time practice) or
□ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow □ Associate □ Fellow

Membership number [ ] Certificate of Practise number [ ]

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only: Affix filing details

eForm Service request number (SRN) [ ] eForm filing date [ ] (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer [ ] Confirm submission

Date of signing [ ] (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/5/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: —The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 249(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 390(E) dated 09.06.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.